P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्तर मध्यकालीन हाडौती क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका

Role of Women in Public Life in North Medieval Hadoti Region

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

पवित्रा शर्मा
शोध छात्रा,
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

महिला समाज की आधारशिला है। नारी की महत्ता प्रत्येक युग की माँग रही है। नारी संपूर्ण सामाजिक कर्त्तव्यों को भली भांति पूर्ण करती रही है। इस शोधपत्र में उत्तरमध्यकालीन राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिका को वर्णित किया गया है, जो कि उनकी तत्कालीन सामाजिक स्थिति को चित्रित करता था। यह शोधपत्र हाडौती के राजघराने एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के संपूर्ण जीवन वृत्त पर प्रकाश डालता है। इस शोधपत्र हेतु अपनायी गयी शोध विधि के अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित साहित्य, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर एवं कोटा अभिलेखागार के विभिन्न भंडार, बस्तों एवं बहियों से महिलाओं की संपूर्ण सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गई है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं से संबंधित इस अध्ययन में महिला को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है ताकि महिला की गरिमा को जीवंत रखा जा सके।

Women are the cornerstone of society. The importance of women has been a demand of every era. Woman has been carrying out all social duties well. This paper describes the role of women in Hadoti region of late medieval Rajasthan in public life, which portrayed their erstwhile social status. This paper sheds light on the entire life-cycle of Hadoti's royal family and general category women. Under the research method adopted for this paper, literature related to Hadauti area, various stores of Rajasthan State Archives, Bikaner and Kota archives, information about the entire social activities of women have been obtained from settlements and books. In this related study, an attempt has also been made to make women an important aspect of history so that the dignity of the woman can be kept alive.

मुख्य शब्द : वीरोचित, अतिशयोक्ति, बहियां, राजपूत।
Heroic, superlative, Bahia, Rajput.

प्रस्तावना

शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक युग में कौटुम्बिक जीवन की सृजनात्मक प्रवृत्ति को जीवित रखने का श्रेय नारी को है। आदि से मध्य और आज तक नारी के बिना परिवार और समाज का आकार असंभव है क्योंकि पुरूष और नारी के संयोग से पारिवारिक परिधियां विस्तारित होती है।स्नेह, प्रेम, वात्सल्य और भाव आकर्षण, गुरूत्वसेवा, लालन–पालन, धर्म–संवहन आदि गुणों का समावेश स्त्री स्वभाव में निहित है अतः धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान सदा महत्वपूर्ण रहा है।समाज की धारा निश्चित करने वाली नारी की स्थिति प्रत्येक युग में परिवर्तित होती रही, उतार–चढ़ाव के झंझावात से हाडौती संभाग भी अछूता नहीं रहा। हाड़ौती की वीरांगनाओं की ही नहीं बल्कि आम एवं मध्यम वर्ग की स्त्रियों की स्थिति भी सही थी। नारी मनुष्य की अर्धांगिनी मानी जाती है। यह भावना भी पूर्णतः सत्य है कि आदि काल में नारी ने शक्ति का रूप ले लिया था। भारत में वैष्णव विष्णु को, शैव शिव को पूजते है किन्तु शक्ति पूजा शाक्त सम्प्रदाय के साथ ही वैष्णव एवं शैव भी करते है। विशेष रूप से राजपूत महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व और प्रभाव से अपने समकालीन समाज पर अमिट छाप छोड़ी है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक इतिहास के पृष्ठ उज्ज्वल है।

कर्नल टॉड के शब्दों में प्राचीन काल के प्रारम्भ से महिलाओं का अमिट प्रभाव भारतीय इतिहास के राजपूत समाज के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है।

शोध–क्षेत्र

इस शोध अध्ययन हेतु राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का चयन किया गया है। यह क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्तमान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते है।

साहित्यावलोकन

दुर्गाप्रसाद माथुर– "बूंदी राज्य का संपूर्ण इतिहास"(2010) इस पुस्तक में बूंदी राज्य के समस्त 25 हाडा शासकों के राजनैतिक इतिहास का वर्णन किया गया है।

डॉ. राधारानी शर्मा–"हाडौती की लोककला में माँडने"(2012) राजस्थान में लोककला की समृद्ध परम्परा रही है। माँडने लोककला की प्रमुख विधा है।इस पुस्तक में हाडौती की लोककला में माँडनों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

सोन कुंवर हाड़ा–"बूंदी राज्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कला एवं संस्कृति" (2013) इस पुस्तक में राजस्थान की संस्कृति के एक प्रमुख प्रणेता राज्य बूंदी की ऐतिहासिक काल की कला एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है जिसका प्रभाव वर्तमान में भी परिलक्षित होता है।

डॉ. ज्योत्स्ना श्रीवास्तव–"18 वी शताब्दी के हाड़ौती संभाग का सामाजिक जीवन"(2015) इस पुस्तक में हाडौती संभाग के तात्कालिक सामाजिक जीवन का वर्णन करते हुए संपूर्ण सामाजिक एवं पारिवारिक पक्षों को समाहित किया गया है।

डॉ. अनुकृति उज्जैनियां–"हाड़ौती की जल संस्कृति"(2020) वर्तमान युग के जल संरक्षण की नवीन तकनीकों ने हमारी पुरातन जल विरासत को दरकिनार कर दिया है अतः इस पुस्तक में प्राचीन जल संरक्षण विरासत को संरक्षित करने हेतु वर्णन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. हाड़ौती की महिलाओं की तात्कालिक स्थिति का अध्ययन।
2. हाड़ौती क्षेत्र की न केवल राजपूत महिलाओं बल्कि सामान्य एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं के संपूर्ण जीवन वृत्त का अध्ययन।

राजपूत औरतें विशषकर हाड़ी वीरांगना का राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में अद्वितीय स्थान रहा है, "हाड़ी रानी जिनका विवाह सलूम्बर के चूण्डावत सरदार से हुआ था (1709 से 1739 महाराणा राजसिंह मेवाड़ के समकालीन) का लोकसाहित्य और लोककथाओं में वर्णन मिलता है"। वीरांगना हाड़ी ने जब अपना मस्तक दिया तब उसने गिरते हुए क्षत्रियत्व के भाररूपी आकाश को झेलने के लिए अपने मस्तक पर 'मंडासा' नहीं रखा। रावत के गले में हाड़ी का सिर झूल रहा था। उसे देखकर शिव ने अनूठी उपमा दी है पार्वती देखो रावत की दाढ़ी हाड़ी के मस्तक पर चवर उढ़ा रही है। यह निश्चित रूप से हाड़ी स्त्रियों के वीरोचित गुणों की प्रशंसा में अतिशयोक्ति हो सकती है परन्तु निःसंदेह उनके वीरोचित गुणों का ज्ञान होता है।

महाराज उम्मेद सिंह जी प्रथम के समय में बलदाउ के मंदिर का उल्लेख है और नादना की बावड़ी का उल्लेख है उसमें हिसाव की पानड़ियों में एक वाक्य लिखा है कि "महाराव शत्रुशाल जी साहब की पत्नी जादोणे जी ने नादना की बावड़ी बनवाई। वे श्रृद्धा और शक्ति की देवी थी तथा हिसाब–किताब खुद लेती थी। इस बही से स्पष्ट है कि पढ़े–लिखे होने के कारण इनका राजकार्य–निर्माण आदि में आंशिक एवं अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। उच्च घराने की स्त्रियों में यदि अधिक योग्यता होती थी तब वे कमान संभालने की स्थिति में भी आ जाती थी।

तीज त्यौहार पर मनचाहे तरीके से महारानियां खर्च कर सकती थी। महारानी जी मन की मालकिन थी वे धन के सम्बन्ध में बाधित नहीं थी। यहां तक कि सोना, चांदी, रेशम की राखी भेंट न्यौछावर में भी पूर्णतः स्वच्छन्द थी। राखी के त्यौहार पर श्रावण पूर्णमासी को देवस्थानों पर श्रीमती महारानी जी की तरफ से सोना, चांदी, रेशम की राखी, भेंट, न्यौछावर भेजे जाते थे। इन महारानी जी के खर्च में दान खर्च विशेष रूप से कोटा बहियों में दर्ज है, ब्राह्मण–भोजन, पूजा–पाठ आदि जगह–जगह दर्ज है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भड़ारण भी संपन्न थी और अपनी प्रभावशाली भूमिका से अप्रत्यक्ष दबदबा भी रखती थी, विद्यमान शासक महाराव श्री रामसिंह जी के समय महारानी जादौण जी की भडारण सुहाग शोभाबाई बड़ी प्रभावशाली सेविका थी। यह महारानी जी की विश्वासपात्र थी।उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाती थी। इससे एक तथ्य और उजागर होता है कि किस तरह से महारानी जी वर्गीकृत कर कार्य करवाती थी।

वृद्ध महिला, पद में बड़ी भाभी आदि का भी पूरा सम्मान किया जाता था, उन्हें आदर–सम्मान दिया जाता था और उनसे राजनीतिक कार्यों में भी सलाह ली जाती थी। गुमान सिंह जी के तीन भावजें थी , राजावत जी , चन्द्रावत जी, कछवाही जी। गुमान सिंह जी नाथद्वारे यात्रार्थ तथा मुख्य नरेशों के साथ परामर्शरार्थ गये थे तो कछवाही जी के साथ उनका कई बार पत्र व्यवहार हुआ था। इन पत्रों से विदित होता है कि पर्दे में रहते हुए भी महिलाएं राजनीतिक विषय पर सलाह दिया करती थी। गुमान सिंह जी अपनी मातातुल्य भावज से सलाह लेना और उनका सहर्ष तथा सरूचि सलाह देना पारिवारिक शिष्टता का अत्यंत ऊंचा आदर्श है। अतः सुस्पष्ट है कि पर्दे में रहते हुए भी वे सजग थी और माता से वैचारिक मत विभिन्नता होते हुए भी उसकी पालना होती थी।

राजपूत महिलाएं जहां अपने पति का नाम नहीं लेती थी वहीं पुरूष भी उनका नाम लेने की सोच नहीं सकते थे , उल्लेखनीय बात यह है कि राजपूत महिलाएं अपने ससुराल में अपने व्यक्तिगत नामों से नहीं अपनी वंश शाखा से जानी और पुकारी जाती थी । विभिन्न बहियों में हाड़ीजी, झीलीजी, राठौड़ी जी आदि पढ़ने को मिलता है , विवाहोंपरांत ससुराल में वे इसी वंशगत उपनाम से जानी पहचानी जाती थी।

महिला वर्ग के प्रति अत्यधिक आदर भाव के कारण ही राजपूत घरानों में मर्यादा पालन के अपने कुछ विशिष्ट नियम भी रहे जैसे अंतःपुर में प्रवेश करने पर शस्त्रादि नहीं ले जाना, नंगे सिर नहीं जाना। तत्कालीन

परिस्थितियों का गूढ़ अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि स्त्रिया उच्च परिवारों में शिकार तथा षड़यंत्र में भी शामिल होती थी। झाला जालिम सिंह के समय 1754 ई में शिकार अभियान जो सैनिक अभियानों की तैयारी जैसे ही थे, में उसकी रानियां भी उसके साथ जाती थी। इन रानियों को बन्दूक चलाने का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता था और वे अपने हाथों में बन्दूक लेकर बैठती थी। और अवसर मिलने पर बाघ अथवा शेर पर गोलियां भी चलाती थी। इस प्रकार के अवसरों में से एक अवसर पर झाला फौजदार भी साथ था। उसके साथ के सैनिकों ने एक बाघ को उत्तेजित किया और वह बाघ दहाड़ते हुए शिकारी लोगों की तरफ दौड़ा। राजा दुर्जनशाल ने यह नियम बना रखा था कि जब कोई शेर अथवा बाघ झाडियों से निकलकर हम लोगों पर आक्रमण करें तो मचान पर बैठी हुई रानियां अपनी गोलियों से उसको मारने की कोशिश करे, क्रोधित बाघ दौड़कर आ रहा था तो हिम्मत सिंह को इशारा मिलते ही रानी ने गोलियां चला दी।

कहीं–कहीं हाड़ौती लोकगीतों में भी मध्यमवर्गीय साधारण परिवार की नारी की भी महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थिति का पता चलता है।

"गौरी सूती सेज पे, मुख में डाल रुमाल।
नयन गुलाबी हो गया, पिया करै मनवार।।"

स्त्री कतई तिरस्कृत नहीं थी यद्यपि वह पुरूष के दबाव में थी परन्तु पुरूष उसकी भावनाओं की कद्र करता था।

लगभग सभी वर्गों की स्त्रियां शिक्षा प्राप्ति के लिए नकारी नहीं जाती थी। 'सदेवस्त सांवली गोरी बातों' से यह अवश्य ज्ञात होता है कि समाज के सम्पन्न वर्ग की लड़कियां लड़कों के साथ ग्रामीण पाठशालाओं में पढ़ती थी किन्तु युवावस्था अथवा रजस्वला की अवस्था आने से पूर्व ही पाठशाला छुड़वा दी जाती थी।समकालीन राजस्थानी चित्रों में हमें पढ़ने वाली लड़कियों के चित्र भी मिलते है, बूंदी चित्रकला संग्रह से लड़की के हाथ में लकड़ी की स्लेट, कलम व दवात के लिये हुये एक चित्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार के ये चित्र प्रमाणित करते है कि कुछ वर्गों में लडकियों को उनकी अल्पवयस्क अवस्था तक पढ़ाया जाता था और यह शिक्षा सह–शिक्षा स्तर की थी।

कोटा राज्य की अभिलेखीय सामग्री से जहां राजघराने की स्त्रियों की स्थिति का ज्ञान होता है वही अतिसाधारण सभी वर्गों से स्त्रियों का सम्मानपूर्वक एक साथ एक जगह आमंत्रित करने के भी प्रमाण मिलते है। गणगौर के उत्सव पर अन्तःपुर में विशेष बैठक बुलाई जाती थी जिससे समाज की विभिन्न जातियों की स्त्रियां नाचगान के साथ अन्तःपुर के द्वार से अन्दर प्रवेश करती थी। इन जातियों में कुंजड़ियों भड़ भूंजा, लखरे आदि जाति की स्त्रियां प्रमुख होती थी। बैठक समाप्त होने पर इनको सम्मान से विदा किया जाता था। यहां प्रत्येक वर्ग की स्त्री सम्मानपूर्वक स्वतंत्रता से अपने अधिकार व विचारों को प्रकट कर सकती थी।

निष्कर्ष

यहां सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों को देखा गया , सच्चाई यह भी है कि प्राकृतिक रूप से ही स्त्री स्वयं को पति से नीचे ही मानती है। आज का युग हो या 18वी सदी स्त्री स्वभाव से ही सीधी एवं सरल है क्योंकि एक विरह गीत

"चावल मूंगा की खीचड़ी,घी बना खायो न जाए।
सब सुख, म्हारा बाप के, पिया बिना रहा ही न जाय।।"

विरह के गीत में खाना–पीना सब कुछ प्रिय नहीं लगता, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिष्ठान निःस्वाद हो जाते है, कंठ में नहीं उतरते और समस्त सुख निस्सार हो जाते है।

निष्कर्षतः औरतों की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक ही अधिक थी। निम्न वर्ग की स्त्रियों को अधिक काम करना पड़ता था परन्तु उनका शोषण नहीं होता था। पति के वर्चस्व में रहते हुए वे अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानती थी। मध्यवर्गीय नारी पति के वर्चस्व में रहते हुए भी स्वतंत्र थी और घर गृहस्थी में सुख से रहने की कला को जानती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां दहेज में या पति उपहार में जागीरें भी पा लेती थी , इसलिए इन जागीरों पर ये अपना ही वर्चस्व रखती थी, कामदारों से उस जागीर पर काम भी ले सकती थी। उत्सवों, मेलों, त्यौहारों पर ये घूंघट में ससम्मान बाहर निकलती थी। फलस्वरूप ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर मध्यकालीन हाड़ौती में स्त्रियों की स्थिति कही से भी नकारात्मक, परित्यक्त, अलगाव या एकान्त सी थी। वे अल्पशिक्षित, चतुर और सन्तुष्ट थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राघवेन्द्र मनोहर, 18वीं सदी में राजस्थान के राजघरानों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 48*
2. *टॉड, राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 733*
3. *एम.एल.शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास भाग–1,पृष्ठ 352*
4. *एम.एल.शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास भाग–2,पृष्ठ 469*
5. *पी.एन.चोपड़ा, सोशल, कल्चरल एण्ड इकॉनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 83*
6. *बूंदी चित्रकला की दीपक रागिनी चित्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, 18वी शताब्दी की ,डॉ. जी.एन शर्मा के सुरक्षित*
7. *भण्डार नं. 1, बस्ता नं. 41, जोधपुर खाता बही, 1702 ई.*
8. *भण्डार नं. 1, बस्ता नं. 121, बोहरों के लेखे, 1781 ई.*
9. *भण्डार न. 3, बस्ता नंबरी 6, मोदी खाना बही, 1801 ई.*
10. *भण्डार न. 6, बस्ता नं. 26, तकसीम बही, 1818–1819 ई.*
11. *भण्डार नं.14, बस्ता नं. 15, जनानी ड्योढी बही, 1858 ई.*
12. *भण्डार नं.18, बस्ता नं.216, खबरों के पत्र 1868 ई.*
13. *भण्डार नं.14, बस्ता नं.16, झाला हवेलीगढ़ 1875 ई.*